an>

title: Need to release allocated funds to states under MGNREGA.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति जी, मैं सदन में आपके माध्यम से अपनी पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएंसी का एक महत्वपूर्ण विÂषय रखना चाहता हूं। हम दिनांक 14 अप्रैल से लगातार 24 अप्रैल तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेÂा अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम दिया। यह कार्यक्रम बाबासाहेब की 125वीं जयंती से प्रारंभ हुआ और 24 अप्रैल तक चला। इस कार्यक्रम के अंदर समरसता, किसान गोÂठी और ग्राम सभाओं को आयोजित किया गया था। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बहुत-से गांवों में और दूसरी जगहों पर भी गया। वहां सभी लोगों ने एक कार्यक्रम की ज्यादा सराहना की कि इस बार मनरेगा के अंदर साठ प्रतिशत खर्चा एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व रखा गया और कृÂिष कार्यों में काफी काम हुआ। प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए लोगों ने दो मुश्किलों का भी जिक्र किया जिन्हें मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को बताना चाहता हूं। उनका कहना था कि जिन किसानों के पास दो हैक्टेयर जमीन है, उन किसानों को मनरेगा स्कीम के अंतर्गत फायदा मिलता। इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए अन्यथा जिसमें 12 लाख लीटर पानी रिजर्व रखते हैं, वह उन लोगों को दिया जाए जिनके पास सात, आठ या दस बीघा जमीन हो। जो केटेगिरीज हैं एससी, एसटी, लघु काश्तकार और सीमांत काश्तकार कोई भी हो, जिनकी कैपेसिटी है और जिनके पास 7, 8, 9 बीघा जमीन है और वे इसे बनना चाहते हैं, ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इनकी एक मांग और थी कि भारत सरकार ने इस वÂर्ष लेबर कम्पोनेंट का पैसा रिलीज कर दिया है लेकिन मनरेगा के मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा नहीं मिला है। मैं 24 अप्रैल तक वहां था और लोगों ने बताया कि यह पैसा नहीं मिला है। यह पैसा 31 मार्च तक रिलीज हो जाना चाहिए था।

माननीय सभापति:

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री सी.पी. जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाए गए विषÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।